न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरणसंख्या : 05/2018
दायरदिनांक : 10.01.2018

उनवान

1. निर्मला देवी पत्नि बालमुकन्द जीनगर निवासी माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. कालू पिता सावता नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. शंकर पिता सावता नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. चान्दमल पिता सावता नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री विनोद कुमार मारू (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जापरपुरा पटवार हल्का माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 160/1 व अन्य कृषि भूमि है पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र कदीमी समय से रास्ता ग्राम बड़ी तलहटी माण्डलगढ़ पटवार हल्का माण्डलगढ़ में स्थित नेशनल हाईवे 758 से होते हुये विपक्षीगण की आराजी संख्या 25 के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 40 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है। उक्त रास्ते से होते हुये बिलानाम संख्या 330/153 के उपर से होते हुये प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि आराजी नम्बर 160/1 पर पहुँचती है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। नेशनल हाईवे निकलने के बाद से ही विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। जिससे प्रार्थीया का अपनी जमीन पर पहुँचना असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 160/1 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 25 के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर 40 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी प्रार्थीगण की और से पेश किया गया। जिसे शामिल प[illegible] गया। दिनांक 19.12.2019 को प्रार्थीया को जानकारी हुई कि वि[illegible] की मृत्यु हो चुकी है। मृतक विपक्षी संख्या 1 कालू नायक के विधिक प्रतिनिधि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

1. बाली देवी पत्नि कालू नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. भैरूलाल पिता कालू नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तह[illegible] माण्डलगढ़।
3. धापू पुत्री कालू नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. सुशीला पुत्री कालू नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. नारायण माता रतनी नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

6 राजू माता रतनी नायक निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीया एक महिला है इसलिए उसे विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु होने की जानकारी न हो सकी, प्रकरण रास्ते से सम्बन्धित है।

इसलिए मृतक विपक्षी के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधीयों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

दिनांक 29.06.2018 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम जापरपुरा पटवार हल्का माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 160/1 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 330/153 किस्म गै0मु0 नाला में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थनापत्र की मौका जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक माण्डलगढ़ से करवाई है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 330/153 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की खाते की आराजी में पहुंचने के लिए बीच में नाला आता है। नाला में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गै0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण में आता है।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072--75, दिनांक 29.06.2018 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 330/153 जो राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज है, से होकर गुजरना पड़ता है। नाला में रास्ता दिया जाना उचित नही है क्योकि गै0मु0 नाला अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रार्थी मांगा गया रास्ता गै0मु0 नाला होने से अब्दुल रहमान प्रकरण से बाधित है। इस कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:15:26 IST
Reason: SelfAttested

(उत्साह चौधरी) (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner